न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 145/2016

जगदीश पुत्र जगरूप जाति अहीर निवासी बीड़भादरा हाल ढाणी 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

1. सरोज पत्नी करतारसिंह जाति जाट निवासी सूरतगढ हाल ढाणी 22 जीबी तहसील श्रीविजयनगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

——रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 22.04.2016

उपस्थितिः—

श्री अशोक छाबडा , अभिभाषक अपीलांट

श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 03.11.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया/रेस्पों. सं. 1 ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 251क तथा सपठित धारा 8(2) उपनि. अधि. के तहत पेश कर चक 24 एसडी के प.नं. 159/422 के कि.नं. 25 में उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा चौडा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले अप्रार्थी सं. 1 को डी.एल.सी. की दर से राशि देने की सहमति भी दर्शायी।

3/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

158/423 के किला नं0 1 10 11

प्रा.पत्र का जबाब अप्रार्थी/अपीलांट ने पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी के चिपते हुए खेत प.नं. 158/423 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 व प.नं. 158/422 के कि.नं. 20, 21 में रास्ता स्वीकृतशुदा है। प्रार्थीया कि.नं. 20 के चिपती हुई भूमि कि.नं. 16 में से रास्ता स्वीकार नहीं करवाकर अप्रार्थी की ढाणी को खुर्द–बुर्द करवाना चाहती है। कि.नं. 16 चक 22 जीबी का है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 22.04.2016 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए रास्ता स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में जबाब प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने जो रास्ता रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु बताया था उसे दृष्टिगत रखते हुए अधी. न्यायालय को प्रा.पत्र खारिज करना चाहिए था। अधी. न्यायालय ने उस पर विचार किये बिना ही रास्ता स्वीकृत कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था। रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रा.पत्र पेश किया। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि अपीलांट को दिलाये जाने के आदेश दिये हैं जिससे अपीलांट को हुए नुकसान की भरपायी हुई है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 22.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा राज.

3/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

काश्त.अधि. 1955 की धारा 251ए के अर्न्तगत रेस्पों. के लिये उस जगह से रास्ता स्वीकृत किया है जहां पर रेस्पों. परम्परागत रूप में रास्ते को सुखाचार के रूप में उपयोग में ले रही थी जो रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से अपीलांट इस सुखाचार व रास्ते की भी आवश्यकता से उसे महरूम करने के लिये आमादा रहते थे।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णय दिनांक 22.04.2016 में 1 बिस्वा भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये हैं जो 126.46 वर्ग मीटर भूमि है। रास्ते की मानक (Standard) चौडाई 4 मीटर 16.28 फीट मानी गई है जो 126.46 वर्ग मीटर में 9.48 फीट ही रास्ते की लम्बाई बनती है जिसकी Absolute necessty होकर आवश्यकता अनुसार ही दिया जा सकता है अन्य कोई कारण नहीं हो सकता, के अलावा रेस्पों. द्वारा फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ्स को bare-eyes से देखने पर लगता है कि स्वीकृत रास्ते निहायत की आवश्यकता थी। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर